सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

कार्तिक 9, शनिवार, शाके 1942- अक्टूबर 31, 2020

Kartika 9, Saturday , Saka 1942- October 31, 2020

भाग 1 (क)

नियुक्तियां एवं छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां

गृह (ग्रुप–9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या प.2/17(1)गृह–9/1980पार्ट :–गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 01.11.2020 को प्रस्तावित महापंचायत/ सभा आंदोलन में परिवर्तित हो सकती है जिससे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों/जिलों में लोक व्यवस्था बाधित होने की पूर्ण संभावना है एवं आन्दोलन उग्र/हिंसक हो सकता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड एवं करौली के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होना उक्त आन्दोलन से संभावित है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

यत् उक्त आन्दोलन के आयोजन से उक्त जिलों में विद्यमान परिस्थितियों एवं भविष्य में संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि सम्बन्धित क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त जिला मजिस्ट्रेटों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा–2 में वर्णित अधिकारों का प्रयोग करने की शक्तियां प्रदान की जाए।

अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा–(3) के अधीन राज्य सरकार उक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त धारा–3 की उपधारा–(2) में वर्णित शक्तियों का, यह आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिये प्रयोग करने का निर्देश देती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एन.एल.मीना,
शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।